संख्या-95/2025/2625/22-2-2023-17(876)/2023

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 जनवरी 2025

विषय:- जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 जहीर उर्फ मुन्ने पुत्र श्री मो0 सईद उर्फ लाला, निवासी जनपद-अमेठी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-19923/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07-06-2023) दिनांक-16-06-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 जहीर उर्फ मुन्ने (बंदी सं0- 55/2020) पुत्र श्री मो0 सईद उर्फ लाला, ग्राम-ढोढ़नपुर, थाना-मोहनगंज, जनपद-अमेठी का निवासी है। दिनांक 19.06.1996 को जमीनी रंजिश में बंदी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बन्दूक से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 05 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-550/1996, 72/1997, धारा-147, 148, 302/149, 307/149, 379 आईपीसी के अन्तर्गत मा० विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-04, रायबरेली के आदेश दिनांक 30.06.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी ने दिनांक 24.09.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 06 माह, 18 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 19.06.1996 को जमीनी रंजिश में बंदी द्वारा 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बन्दूक से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या करने एवं 05 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मो० जहीर उर्फ मुन्ने पुत्र मो० सईद उर्फ लाला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो० जहीर उर्फ मुन्ने (बन्दी संख्या-55/2020) पुत्र मो० सईद उर्फ लाला, निवासी जनपद-अमेठी को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

विनोद कुमार द्विवेदी

संयुक्त सचिव।

संख्या-95/2025/2625(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी।

2- अधीक्षक, जिला कारागार रायबरेली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/ अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा (क्रि0) डायरी सं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-95/2025/2625/22-2-2023-17(876)/2023

दिनांक 29 जनवरी 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 जहीर उर्फ मुन्ने(बंदी सं0-55/2020) पुत्र श्री मो0 सईद उर्फ लाला, ग्राम-ढोढ़नपुर, थाना-मोहनगंज, जनपद-अमेठी का निवासी है। दिनांक 19.06.1996 को जमीनी रंजिश में बंदी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बन्दूक से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 05 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-550/1996, 72/1997, धारा-147, 148, 302/149, 307/149, 379 आईपीसी के अन्तर्गत मा० विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-04, रायबरेली के आदेश दिनांक 30.06.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी ने दिनांक 24.09.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 06 माह, 18 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 19.06.1996 को जमीनी रंजिश में बंदी द्वारा 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बन्दूक से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या करने एवं 05 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मो० जहीर उर्फ मुन्ने पुत्र मो० सईद उर्फ लाला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।